राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4501/2024

शाइस्ता —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालूवास, थानागाजी, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.12.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. स्थाई राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II उर्दू के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालूवास, थानागाजी, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोलिया, गोविन्दगढ, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर अधिशेष कार्मिक नहीं है। अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष होना मानते हुए स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग की नीति के अनुसार अपीलार्थी को पास के ही ब्लॉक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को दूसरे जिले में दूर स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी का विद्यालय क्रमोन्नत हो जाने के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है। अपीलार्थी को अधिशेष माने

जाने में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान दिये गये तर्कों में यह तथ्य स्वीकार किया कि अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश की पालना में नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। ऐसे में आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अपील निष्फल हो गई है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य